



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए</p>
<p>30/5/2024</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 9 सीपीसी का बाजदायरी हेतु पेश किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद में सुनवाई हेतु 10.05.2022 नियत कर रखी थी। उपरोक्त तारीख पेशी के दिन प्रार्थीगण अपने परिवार में विवाह होने के कारण तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाई एवं प्रार्थीगण के वकील साहब के सिर दर्द के कारण तबियत बिगड जाने से समय पर श्रीमान न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहे। जिसके कारण प्रार्थीयागण का वाद आदेश 09 नियम 03 सी.पी.सी. में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।</p> <p>तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने प्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर की है।</p> <p>बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 9 सीपीसी प्रार्थना पत्र बाजदायरी के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पर न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ यह पत्रावली संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">   </p>	

